पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस विज्ञप्ति

विभिन्न थाना क्षेत्रों से वांछित में कुल 10 अभियुक्त/अभियुक्ता गिरफ्तार।

दिनांक–02.06.2024

दिनांक 01/02.06.2024 को थाना चिनहट 05, गोमतीनगर विस्तार 01, मड़ियांव 01, सआदतगंज 01, वजीरगंज 02 अभियुक्त गिरफ्तार। इस प्रकार वांछित में कुल 10 अभियुक्त/अभियुक्ता गिरफ्तार।

भा0द0वि0

थाना गुडम्बा–दिनांक 02.06.2024 को थाना गुडम्बा द्वारा बताया गया कि श्री गोपाल गुप्ता पुत्र स्व0 कैलाश गुप्ता निवासी–1/892 सेक्टर जे0 जानकीपुरम थाना गुडम्बा लखनऊ ने थाना गुडम्बा ने पर सूचना दिया कि निशांत सेठ उम्र करीब 30 वर्ष निवासी अज्ञात उनके मकान पर किराये पर पिछले 10.03.2024 से किराये पर रह रहे थे। आज दिनांक 02.06.2024 को उसके मकान के निचले हिस्से में रहने वाले किरायेदार बृजेश कुमार पुत्र श्री राधेश्याम गुप्ता से उसे जानकारी हुयी कि ऊपर कमरे से बहुत बदबू आ रही है। इस पर वह अपने उक्त मकान पर आया और ऊपर के कमरे में खिड़की से झांककर देखा तो एक आदमी मृत पड़ा हुआ है। देखने से प्रतीत हो रहा है कि यह मृत आदमी निशांत सेठ ही है। **इस सूचना पर एस0आई0 श्री रंजीत मिश्रा मो0नं0 9670326295 थाना गुडम्बा द्वारा आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।** जिनके द्वारा बताया कि मौके पर पहुंचकर फील्ड यूनिट की मौजूदगी में दरवाजा तोड़कर कमरे के अन्दर जाकर देखा गया तो किरायेदार निशांत सेठ अपने बिस्तर पर मृत अवस्था में पड़े थे। शव 02 से 03 दिन पुराना लग रहा है। मृतके के पास से मोबाइल फोन बरामद हुआ है। परिजनों से सम्पर्क करने का प्रयास किया जा रहा है। अग्रिम विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

थाना विकासनगर–दिनांक 02.06.2024 को थाना विकासनगर द्वारा बताया गया कि वादी श्री रवि प्रकाश पाण्डेय पुत्र रामसुफल पाण्डेय निवासी–529ख/112 शादाव कालोनी विकासनगर लखनऊ ने थाना विकासनगर पर सूचना दिया कि दिनांक 01.06.2024 को प्रातः करीब 07.00 बजे से 07.30 बजे के बीच वादी की माताजी श्रीमती मिथलेश पाण्डेय जिनकी उम्र करीब 76 वर्ष है, रोहतास अपार्टमेन्ट के सामने पार्क के पास सड़क पर टहल रहीं थी कि उसी समय 02 अज्ञात व्यक्ति त्रिपाठी कोंचिग की तरफ से मोटरसाइकिल से आकर रूके और वादी की माताजी से बातचीत करते हुए कहा कि आप पर शनि और ग्रह की दशा ठीक नहीं है। आप अपने कान में पहने हुये कान की बाले उतार कर दे दीजिये और बदले में एक कागज की पुड़िया दे दी और बताया कि इस पुड़िया को घर पर जाकर खोलियेगा। वादी की माता जी जब वापस घर पर आयीं तो वादी के परिजनों ने वादी की माताजी के कान में बाले न देखने पर बाले के बारे में पूछा तो वादी की माताजी ने पूरी घटना बतायी और पुड़िया खोलकर देखा तो उसमें कुछ भी नहीं था। इस पर वादी को एहसास हुआ कि वादी की माताजी के साथ ठगी हुयी है। **इस सूचना पर थाना विकासनगर पर मु0अ0सं0 86/2024 धारा 420 भादवि का अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।**

थाना अलीगंज–दिनांक 02.06.2024 को थाना अलीगंज द्वारा बताया गया कि वादी श्री विशाल कक्कड़ पुत्र श्री टी0एन0 कक्कड़ निवासी–108, रवीन्द्र गार्डेन, सेक्टर ई थाना अलीगंज लखनऊ ने थाना अलीगंज पर सूचना दिया कि वादी दिनांक 27.05.2024 का सपरिवार समय करीब 11.30 बजे भीमताल के लिए अपने उक्त घर से निकला था। साथ ही वादी के पिताजी श्री टी0एन0 कक्कड़ दिनांक 22.05.2024 को ही 10 दिनों के लिए अपना उपचार कराने के लिए पारमपुर, हिमाचल प्रदेश गये हुये थे। दिनांक 31.05.2024 को समय करीब 08.45 बजे शाम को वादी अपने उक्त घर पर वापस आया तो देखा कि वादी के घर के ड्राइंग रूम की खिड़की की ग्रिल जबरदस्ती निकाली गयी है और बेडरूम में जाकर देखा तो कमरे का सारा सामान बिखरा पड़ा हुआ है और आलमारियां खुली पड़ी हैं। वादी के उक्त घर की खिड़की की ग्रिल को खोलकर अज्ञात चोरों द्वारा आलमारी में रखे कीमती जेवरात व करीब 15,000/–रूपये नगदी को चोरी कर लिया गया है। **इस सूचना पर थाना अलीगंज पर मु0अ0सं0.134/2024 धारा 457/380 भादवि का अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।**